STUDY ON THE IMPACT OF EARTH-QUAKES ON STRUCTURES IN SEISMIC ZONES

3258. SHRI B. K. HARIPRASAD : Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) whether Government have instituted any study on the impact of earth-quakes on structures in seismic zones in the wake of recent Latur, Gulbarga-Bidar earth-quakes;

(b) whether it is a fact that on the basis of scientific studies conducted so far, it would be possible to reasonably quantify earth-quake hazards and there is adequate civil engineering expertise within the country to build quake-proof houses in seismic zones; and

(c) whether Government would consider enforcement of a construction code for buildings in seismically active zones in order to mitigate earth-quake hazards ?

THE MINISTER OF STATE IN THE PRIME MINISTER'S OFFICE AND MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENTS OF ATOMIC ENERGY AND SPACE WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY (SHRI BHUVNESH CHATURVEDI) : (a) Yes, Sir.

(b) and (c) On the basis of scientific studies conducted by several institutions, Bureau of Indian Standards (BIS) has prepared seismic zoning map and building code vide their publication IS : 1893 ; 1984 published in 1986, which is under revision at present. The building code is transmitted to the local authorities for necessary follow up.

कमजोर वर्गों के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की योजना

श्री दिलीप सिंह जूदेव : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में कमजोर वर्गों से संबंधित लोगों के लिए बनाई गई अपनी योजना पर 10.92 लाख रुपए व्यय में खर्च किये हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक ने भी 31 मार्च, 1993 को समाप्त हुए वर्ष के लिए अपने प्रतिवेदन 1993 का संख्यांक 8 में इस संबंध में प्रतिकूल टिप्पणी की है; और

(घ) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है तथा क्या सरकार ने इन टिप्पणियों पर कोई कार्रवाई की है ?

प्रधान मंत्री के कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग और अंतरिक्ष विभाग में राज्यमंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्यमंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री भुवनेश चतुर्वेदी):

(क) और (ख) सातवीं योजना अवधि के दौरान और आठवीं योजना के शुरू होने से पहले की अवधि अर्थात् (1985—93) में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने अपनी "कमजोर वर्गों के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी स्कीम के अन्तर्गत 1289 लाख रुपये की कुल खर्च वाली 401 परियोजनाएं अनुमोदित की। इस स्कीम का उद्देश्य गरीब लोगों और अन्य कमजोर वर्गों के लाभ के लिए नूतन प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने और विकास करने के साथ साथ मौजूदा तकनीकी में सुधार लाना है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने 31 मार्च, 1992 को समाप्त हुए वर्ष की अपनी रिपोर्ट (1993 की संख्यांक 2) में बताया है कि परियोजनाओं (401 में) को "समय पूर्व बन्द करना पड़ा था, जब उनका काम असन्तोषजनक पाया गया था।" इन सभी परियोजनाओं पर कुल मिलाकर 1083 लाख रुपय खर्च हुए थे।

इन परियोजनाओं में से किसी भी परियोजना को उसकी आधी अवधि पूर्ण होने से पहले बन्द नहीं किया गया था। इनके बन्द करने के कारण विवरण-1 में दिये गये हैं (नीचे देखिए) जो कि लेखा परीक्षा रिपोर्ट में भी बताए गए है।

(ग) और (घ) भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की विशिष्ट टिप्पणियां उपर्युक्त परियोजनाओं में से 3 परियोजनाओं से संबंधित हैं। ये टिप्पणियां और उन पर की गयी कार्रवाई विवरण-2 में दी गयी है।

विवरण—I

क्रम सं.	परियोजना का शीर्षक	बंद होने के कारण
1.	रेशम उत्पादन पद्धति का प्रसार—ग्रामीण कमजोर वर्ग के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी का प्रयोग (अवधि 2 वर्ष) जनवरी, 1990 में शुरू हुई	परियोजना की मानीटरिंग के पश्चात यह पाया गया कि प्रधान अन्वेषक ने इस कार्य को गम्भीरता से नहीं लिया है और वह प्रस्तुति नहीं कर सका। इसलिए इस परियोजना को 30 सितम्बर, 1991 से समाप्त करने का निर्णय लिया गया।
2.	गांव मंगरोध के हरिजन लाभार्थियों के लिए चमड़ा प्रशिक्षण प्रौद्योगिकी का सुधार और विकास (अवधि 2 वर्ष) 1 अक्तूबर, 1986 को शुरू हुई)	सितम्बर, 1988 में मानीटरिंग करने के पश्चात् परियोजना कार्य संतोषजनक नहीं पाया गया था और यह निर्णय लिया गया था कि इसको और अवधि न बढ़ाई जाये और यह परियोजना अगस्त, 1988 में बंद हुई मान ली गई।
3.	गांवों में अपनाने के लिए सरलीकृत चर्म संशोधन पद्धति (अवधि 2 वर्ष 1 सितम्बर, 1988 को शुरू हुई)	अनुदान की शर्तों के अनुसार अनुदानग्राही से 31 दिसम्बर 1986 और 31 दिसम्बर, 1987 का देय प्रगति रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई थी। "अगस्त, 1987 में हुई द्वितीय ग्रुप मानीटरिंग वर्कशाप में परियोजना का कार्य संतोषजनक नहीं पाया गया। इस बैठक में पेश की गई मौखिक रिपोर्ट और दिसम्बर, 1987 में विशेषज्ञ समिति की बैठक में हुए विचार विमर्श के आधार पर यह निर्णय लिया गया कि इस परियोजना को 31 दिसम्बर, 1987 से समाप्त कर दिया जाए।"
4.	राजस्थान में 25 गांवों में वैज्ञानिक कृषि पद्धति और आधुनिक डेरी प्रौद्योगिकी एक प्रशिक्षण-सह प्रदर्शन कार्यक्रम (अवधि: 2 वर्ष नवम्बर 1988 शुरू हुई)	परियोजना की प्रगति की नवम्बर, 1989 में हुई ग्रुप मानीटरिंग वर्कशाप पुनरीक्षा की गयी थी जिसमें प्रधान अन्वेषक ने अपना नामिती नियुक्त किया था। यह फैसला किया गया था कि विशेषज्ञों को परियोजना स्थल का दौरा करना चाहिए। दिसम्बर 1989 में परियोजना स्थल का दौरा करने के पश्चात विशेषज्ञ इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि यह स्कीम विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की इच्छाओं के अनुरूप नहीं चलायी गयी थी और इससे वांछित परिणाम निकलने की संभावना नहीं है। विशेषज्ञ समिति ने सिफारिश की कि इससे परियोजना को बन्द कर दिया जाये। प्रधान अन्वेषक को दिसम्बर 1989 को सूचित कर दिया गया था कि वह इस परियोजना पर और खर्च न करें।
5.	वैज्ञानिक चेतना कार्यक्रम : आदिवासियों में लोकप्रियकरण (अवधि : 1 वर्ष, सितम्बर, 1989 में शुरू हुई)	"यह महसूस किया गया कि परियोजना की गतिविधियां संस्थान की सामाजिक कार्य संबंधी गतिविधियों की मुख्य धारा से अलग रही हैं और परियोजना की प्रगति और उपलब्धियां अपेक्षाकृत सीमित और असंतोषजनक रहीं"। परियोजना सितम्बर, 1990 में बंद कर दी गयी।

विवरण–2

परियोजना का शीर्षक	भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां	की गई कार्रवाई
1. राजस्थान में 23 गांवों में वैज्ञानिक, कृषि पद्धतियों और आधुनिक देसी प्रौद्योगिकियों में प्रशिक्षण-सह-प्रदर्शन कार्यक्रम	अनुदान-ग्राही द्वारा उन्हें दी गई धनराशि से खरीदे गये 1.52 लाख रु. की लागत के उपकरण को वापिस लेने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने कोई कार्रवाई आरम्भ नहीं की।	उपकरण को वापस लेने के लिए कदम उठाये जा चुके हैं।
2 वैज्ञानिक चेतना कार्यक्रम : आदिवासियों में लोकप्रियकरण	एजेंसी के गलत चयन के कारण 1.40 लाख रुपये का खर्चा व्यर्थ गया जबकि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने स्वीकृति के समय एजेंसी को इसके लिए पहले ही सावधान कर दिया था।	उड़ीसा में विशेषकर आदिवासी क्षेत्रों में ऐसा कोई स्वयंसेवी संगठन/एजेंसी नहीं है जो विज्ञान लोकप्रियकरण कार्य में जुटी हुई हो। संबंधित संगठन में समर्पित प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ता थे जो कि आदिवासी क्षेत्र के निवासी थे और जिनकी स्थानीय लोगों के साथ घनिष्ठता थी। इसलिए यह उपयुक्त समझा गया कि इस संगठन को विज्ञान लोकप्रियकरण संबंधी परियोजना को हाथ में लेने का अवसर प्रदान किया जाए ताकि आदिवासी लोगों में इस संगठन के माध्यम से इसे अधिक से अधिक लोग अपनायें। वर्तमान नीति में यह सुनिश्चित किया जाता है कि स्वयंसेवी एजेंसियों के पास वैज्ञानिक क्षमताएं उपलब्ध हों अथवा उन्हें वे उपलब्ध करवा दी जायें।

INVESTMENT IN R & D

3260. DR. NAUNIHAL SINGH :

SHRI SANGH PRIYA GAUTAM:

Will the PRIME MINISTER be pleased to tate :

(a) what was Government's investment in Research and Development during the last three years;

(b) where does India stand as compared to the USA, Germany and Japan in terms of investment in R&D during the last three years;

(c) whether Government's liberalisation policy has given a boost to an increase in investment in R&D, if so, the details thereof;

(d) whether it is a fact that Government's investment in R&D has come down